NK

(विद्युत) के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को उसकी सम्यक् सूचना दी जाएगी।

[संख्या ई. एल.-11-6(9)/76]
सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 1976

S.O. 4829.—The Central Government, in exercise of the powers conferred on them by sub-rule (2) of rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, hereby relax the provisions of rules 117(3), 123(5) and 123(7) in respect of use of two lengths of 150 metres long 440V Russian trailing cables in conjuction with Russian Drill Machine in the iron ore mines of Bailadila Deposit 5 of M/s. National Mineral Development Corporation vide their application No. EE(E)/D5/76/(410)/1229, dated 17/18-7-76. The relaxation shall be subject to the following conditions:—

1. Circuit breaker controlling supply to the trailing cables shall be provided with efficient earth leakage relay of sufficient sensitivity for disconnection of supply from the system in the event of an earth fault taking place in the same.
2. The overcurrent trips of the circuit breaker controlling 440 V supply to the flexible training cable shall be in keeping with the installed horse power in the drill machine.
3. The flexible trailing cable should be connected to the electric supply system and the machine by properly constructed connector boxes or totally enclosed safe attachments.
4. The flexible trailing cable shall be handled with due care so as to avoid danger arising out of any electrical defects in the use. If any defects are noticed, the cables shall forthwith be repaired or replaced.
5. Earth leakage protective device in the 440 Volts system shall be tested for efficiency at intervals not exceeding 24 hours.

Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for such time as the cables are in use at the mine and due information shall be given to the Central Government through the Dy. Director of Mines Safety (Elec.) as soon as the cables are taken out of the mine.

[No. 6(9)/76-EL. II]
S. P. JAIN, Dy. Director.

कोयला विभाग

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4830.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2747 तारीख 7 अगस्त 1975 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र में भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 121.75 एकड़ (लगभग) या 49.75 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित कर ली जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 121.75 एकड़ (लगभग) या 49.75 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित की जाती है।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त के कार्यालय, रांची में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) में किया जा सकेगा।

अनुसूची

खंड-1

(करकट्टा कोलियरी विस्तारण)

उत्तरी करनपुरा कोयलावाले क्षेत्र

ड्रा सं० रा०/56/75

तारीख 1-11-75

(जिसमें अर्जित भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	नवाडीह	बरमू	4	रांची	121.75	भाग

कुल क्षेत्र 121.75 एकड़ (लगभग)
या 49.75 हेक्टेयर्स (लगभग)

नवाडीह ग्राम में अर्जित प्लाट सं०

160 (पी), 161 (पी), 162, (पी), 206 (पी) और 207 (पी)

सीमा वर्णन

क–ख रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 162, 161 और 207 से होकर जाती है।

ख–ग रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 207, 206 और फिर 207 से होकर जाती है।

ग–घ रेखा नवाडीह और तुमन्द ग्राम की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ (अर्थात् करकट्टा कोलियरी की पट्टाधृत सीमा के भाग के साथ-साथ) जाती है।

घ–क रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 207, 160 और 162 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 25/27/73-सी 31 सी एल]

(Department of Coal)

New Delhi, the 17th December, 1976

S.O. 4830.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Coal), No. S.O. 2747 dated the 7th August, 1975, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire lands in the locality described in the Schedule appended to that notification;

And Whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government.

And Whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar is satisfied that the lands measuring 121.75 acres (approximately) or 49.75 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquireed ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 121.75 Acres (approximately) or 49.75 hectares (approximately) described in the said-Scheduled are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ranchi or in the office of the Coal Controller, 1. Council House, Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

BLOCK-I

(Karkatta Colliery Extension)

North Karanpura Coalfield

DRG No. Rev/56/75
Dated : 1-11-75
(Showing land acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area in acres.	Remarks
1.	Nawadih	Burmu	4	Ranchi	121.75	Part.

Total Area :— 121.75 acres approx.)
or 49.75 hectares (approx.)

Plot Nos. acquired in village Nawadih :—

160 (P), 161 (P), 162(P), 206 (P) and 207 (P).

Boundary Description:—

A–B line passes through plot numbers 162, 161 & 207 of village Nawadih.

B–C line passes through plot numbers 207 , 206 and again 207 of village Nawadih.

C–D Line passes along the part common boundary of village Nawadih and Tumand (*i.e.* along the part lease hold boundary of Karkatta Colliery.

D–A Line passes through plot numbers 207, 160 and 162 of village Nawadih and meets at starting point 'A'

[No. 25/27/73-C3/CL]

का०आ० 4831.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और निकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर-1 में या कलक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता में किया जा सकता है।

उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों से हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शे चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर-1 को परिदत्त कर देंगे।

अनुसूची 1

सास्ती कोलियरी

वार्धा घाटी कोयला क्षेत्र

ड्रा० सं० पी०एल०जी०/सास्ती/भूमि 1–76
तारीख 23 जुलाई 1976

राजस्व भूमि

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	जिला	पटवारी सर्किल सं०	सर्वेक्षण का वर्ष	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	सास्ती	राजुरा	चन्द्रपुर	आर आई राजुर	1964		भाग
2.	मात्रा	,,	,,	,,	1962		वयउ
3.	गौरी	,,	,,	,,	1973		,,
4.	ढोपताला	,,	,,	,,	1964		,,

कुल क्षेत्र 3578.26 एकड़ (लगभग)
या 1448.055 हेक्टेयर्स (लगभग)

अनुसूची 2

सरकार वन

क्रम सं०	वन का नाम	खान सं०	प्लाट सं०	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	मात्रा	53	56	राजुरा	चन्द्रपुर		भाग
2.	ढोपताला	सर्वेक्षण 75 और 89 सं० 51 और 52					

1

कुल क्षेत्र 144.82 एकड़ (लगभग)
या 58.60 हेक्टेयर्स (लगभग)

कुल योग 3723.03 एकड़ (लगभग)
या 1506.655 हेक्टेयर्स (लगभग)

सीमा वर्णन

क—ख यह सास्ती कोलियरी की विद्यमान खनन सीमा है जो ढोपताला ग्रामों से होकर जाती है और सास्ती ग्राम में बिन्दु 'ख' पर मिलता है।

ख—ग यह सास्ती कोलियरी की विद्यमान खनन सीमा है जो सास्ती ग्राम से होकर जाती है और वार्धा नदी के दक्षिणी किनारे पर बिन्दु 'ग' से मिलती है।

ग—घ रेखा सास्ती ग्राम से होकर जाती है और गौरी ग्राम में बिन्दु 'घ' पर मिलती है।